

15⁰⁷/₂₄

— वकील वादी उपस्थित नहीं। वादी स्वयं भी उपस्थित नहीं। इनकी अनुपस्थिति बावजूद कोई कारण भी पेश नहीं हुआ। बार-बार आवाज लगावाई गई। अतः वाद-पत्र अदम फेरवी अदम हजरी में खारिज किया जाता है।

पतावली निविदा में शुमार की जाऊ नम्बर से काम हो रहा वरवीय कमिश्नर द्वारा दायित्व वाफर हो।